1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदे और लीज पर दिए गए वाहनों की लीजिंग पर लागू जीएसटी दर (मुआवजा उपकर सहित) के 65 फीसदी के बराबर जीएसटी लगेगा

मोटर वाहनों की पुरानी/मौजूदा लीज पर राहत देने के लिए जीएसटी परिषद ने 6 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित अपनी 22वीं बैठक में 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और लीज पर दिए गए मोटर वाहनों के संबंध में कई निर्णय लिए। इन निर्णयों का उल्लेख नीचे किया गया है:

क) 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदे और पट्टे (लीज) पर दिए गए वाहनों की लीजिंग पर लागू जीएसटी दर (मुआवजा उपकर सहित) के 65 फीसदी के बराबर जीएसटी लगेगा।

ख) इस तरह के वाहनों को जब बेचा जाएगा तो उन पर लागू जीएसटी दर (मुआवजा उपकर सहित) के 65 फीसदी के बराबर जीएसटी लगेगा।

ग) जब किसी ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वाहनों की बिक्री की जाएगी जिसने 1 जुलाई, 2017 से पहले वाहन खरीदा था और इस तरह के मोटर वाहनों पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वैट या किसी अन्य कर के किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अब तक नहीं उठाया है तो उन वाहनों की बिक्री पर भी लागू जीएसटी दर (मुआवजा उपकर सहित) के 65 फीसदी के बराबर जीएसटी लगेगा।

ये दरें तीन साल की अवधि के लिए लागू होंगी, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी मानी जाएंगी।

उपर्युक्त निर्णयों पर अमल सुनिश्चित करने वाली अधिसूचनाएं शीघ्र ही जारी की जाएंगी।

***

वीके/आरआरएस/एसएस - 5064
(Release ID 67671)